

12/03/2022


17
 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में
 हुई। तहसीलदार, नदबई की रिपोर्ट
 मुन्नाबिक देवेन्द्र सिंह का नाम योगेन्द्र
 शर्मा पुत्र मनोहरी किया जाना उचित
 प्रतीत होता है। अतः आदेश प्रथक से लिखवाए
 जाकर देवेन्द्र सिंह के लियान पर योगेन्द्र शर्मा कि
 जाके। पत्रावली इसी तरह पर शीप बी जाती है।

पुनर्वच

अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर

सदस्य
लोक अदालत
भरतपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/03/2022	<p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच में पेश हुई। मुगाबिक तहसीलदार नरबई की रिपोर्ट देवेन्द्र सिंह का नाम योगेन्द्र शर्मा पुत्र मनहोरी जारी ब्राह्मण सा. गांगरौली शुद्ध किया जाना उचित है। अतः अमाबंदी खतर 2075 से 2078 में खतर संख्या 260 में देवेन्द्र के स्थान पर योगेन्द्र शर्मा पुत्र मनहोरी जारी ब्राह्मण सा. गांगरौली किया जाना है। पत्रावली इसी रूप पर शॉप की जाती है।</p> <p>पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम ही जाकर दाखिल होगा।</p>	


 जज
 लोक अदालत
 भरतपुर


 जलिय
 लोक अदालत
 भरतपुर